A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

Website: www.mdamuzaffarnagar.com **& Email :** mdamzn@yahoo.co.in

Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859

पत्रांकः 1174 /मु0वि0प्रा0/2018 दिनांकः 20/7/18

सेवा में,

वसुन्धरा इन्फाबिल्ड प्राईवेट लि0,
द्वारा डायरेक्टर श्री अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह व अन्य,
वसुन्धरा रेजीडेन्सी, फेस–6,
ग्राम–सूजडू, मुजफ्फरनगर।

विषय– तलपट मानचित्र सं0 93/2018 में धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके तलपट मानचित्र संख्या 93/2018 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.07.18 में सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। जमा होने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

1– बाहय विकास शुल्क	रू 67,01,628.00
2– निरीक्षण शुल्क	रू 2,17,803.00
3– शेल्टर फीस	रू 38,03,800.00
कुल योग	**रू 1,07,23,231.00**

शर्तेः–

1. भू–स्वामित्व का समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा। इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं एस0टी0पी0 ट्रीटमेंट होने के बाद सिंचाई कार्यों में इस्तेमाल होने के उपरान्त सरप्लस पानी को नाले तक डिस्पोज स्वयं के हर्जे–खर्चे पर करना होगा ।
4. सभी आन्तरिक विकास कार्य यथा बिजली, सडक, नाली, पानी, सीवर आदि अनुमोदित तलपट मानचित्र के अनुरूप मानकों के अनुसार करने होंगें।
5. विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्य (पोल वायर, ट्रान्सफार्मर आदि) विकासकर्ता को स्वयं के खर्चे पर पूर्ण कराकर विद्युत विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी स्वयं विकासकर्ता की होगी।
6. विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर आदि स्थापित करने हेतु विकासकर्ताओं को भूमि निःशुल्क देनी होगी।
7. तलपट मानचित्र में दर्शाये गये व्यवसायिक/आवासीय भूखण्डों पर भवन निर्माण करने से पूर्व उनके मानचित्र प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृत कराने होंगें।
8. प्रश्नगत स्थल के आस–पास यदि कोई चकरोड़ या नाली है तो उसे यथावत मेनटेन रखना होगा।
9. तलपट मानचित्र की स्वीकृति की वैधता के अन्तर्गत ही समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे एवं विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
10. समस्त पार्क, खुले स्थल, सडक, नाली आदि का निर्माण कार्य पूर्ण कर रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन/नगर पालिका को निःशुल्क हस्तांतरित करने होंगे।

11. यदि योजना में कतिपय ट्रंक सेवाओं जैसे रोड कनेक्शन, जल निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज आदि हेतु कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए विकासकर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देना होगा।
12. स्थल पर 125 पेड प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होंगें।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण का निर्णय सर्वमान्य होगा।
14. सभी आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में विकासकर्ता को प्राधिकरण के साथ विकास अनुबंध करना होगा।
15. आन्तरिक विकास कार्यों के मूल्य के समतुल्य 1% लेबर सेस देना होगा।
16. उपरोक्त सभी शर्तों को पूर्ण करने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार विकासकर्ता कुल धनांक रू0 1,07,23,231.00 पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर जमा कराने का कष्ट करें, तथा प्राधिकरण से डेवलपमेंट अनुबन्ध भी कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी,
विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर